न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1180/2025

अनवान : –

1. बलराम पुत्र रणजीत उर्फ जीतराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. कमला पुत्री रणजीत उर्फ जीताराम पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व तारानगर तहसील तारानगर।
5. उपं पंजीयक तारानगन तहसील तारानगर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 92/92 की कुल 2.2770 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा चक 15 एनटीआर–ए तहसील नोहर के खाता संख्या 34/31 की कुल 1.2650 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा, चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 90/90 की कुल 2.2770 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा एवं खाता संख्या 110/110 की कुल 4.5540 है० भूमि में से 1/90 हिस्सा तथा रोही मौजा मदावास तहसील तारानगर के खाता संख्या 48/47 की कुल 7.0559 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार जो मिताक्षरा हिन्दू विधि से शासित व उपरीक्त संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक कृषि भूमि वादी के दादा से बादी के पिता रणजीत उर्फ जीताराम को प्राप्त हुई रणजीत उर्फ जीताराम से वादी बलराम, हरदेई, बाधी व कमला को विरास्तन प्राप्त हुई थी तथा ब० हि० ब० भूमि दर्ज हुई थी। वादग्रस्त भूमि में वादी अपनी तीनो बहिनों के साथ ब० हि० ब० दर्ज हुई थी। वादी ने अपनी बहिनों की शादी कर उनके भात छुछक आदि सामाजिक कार्यक्रम पूरे कर दिये तथा वादी की बहिनों का वादी के साथ काफी स्नेह व मोह होने के कारण अपने पिता के जीवनकाल में ही सम्पूर्ण कृषि भूमि में जो हिस्सा बनता था अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया था वादी के पिता की अंतिम इच्छा थी कि अपनी तीनों पुत्रियों व पुत्र में स्नेह बना रहे इसलिए अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वादी की बहिन हरदेई, बाधो व कमला ने आपसी सहमति से घरेलु राजीनामा का फैसला किया व अपने परिवार के सदस्यों रिश्तेदारों के समक्ष अपने भाई वादी को हक त्याग कर दिया था जो मौखिक था। घरेलु राजीनामा के मुताबिक लिखा पढ़ी नहीं की इस कारण आज भी राजस्व रिकार्ड में वादी का हक व हिस्सा वादी की बहिनों के नाम दर्ज है जिसमें दो बहिने हरदेई, बाघो ने दिनांक 10 व 11 जुलाई 2023 को दस्तबरदारी कर अपने भाई के पक्ष में करवा दी लेकिन प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:57:37 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1 कमला जो अपने ससुराल के दवाब में दस्बरदारी करने नहीं आई वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि का अपने भाई के पक्ष में हक त्याग कर दिया जिसे वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई थी तथा अपने पिता के जीवित रहते समय ही अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाई के पक्ष में त्याग कर दिया लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए वादी अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवा कर जमाबंदी दुरूस्त करवा वादग्रस्त भूमि में वादी प्रतिवादी संख्या का जो भी हक हिस्सा है उसमें प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवाकर वादी अपने नाम दर्ज करवा पाने का मजाज है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुतत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार जो मिताक्षरा हिन्दू विधि से शासित व उपरीक्त संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक कृषि भूमि वादी के दादा से बादी के पिता रणजीत उर्फ जीताराम को प्राप्त हुई रणजीत उर्फ जीताराम से वादी बलराम, हरदेई, बाधी व कमला को विरास्तन प्राप्त हुई थी तथा ब० हि० ब० भूमि दर्ज हुई थी। वादग्रस्त भूमि में वादी अपनी तीनो बहिनों के साथ ब० हि० ब० दर्ज हुई थी। वादी ने अपनी बहिनों की शादी कर उनके भात छुछक आदि सामाजिक कार्यक्रम पूरे कर दिये तथा वादी की बहिनों का वादी के साथ काफी स्नेह व मोह होने के कारण अपने पिता के जीवनकाल में ही सम्पूर्ण कृषि भूमि में जो हिस्सा बनता था अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया था वादी के [illegible] कि अपनी तीनों पुत्रियों व पुत्र में स्नेह बना रहे इसलिए अपने पिता की [illegible] हरदेई, बाधो व कमला ने अपना हिस्सा अपने भाई को दे[illegible] व अपने परिवार के सदस्यों रिश्तेदारों के समक्ष अपने भाई वादी को हक त्याग कर दिया था जो मौखिक था। घरेलु राजीनामा के मुताबिक लिखा पढ़ी नहीं की इस कारण आज भी राजस्व रिकार्ड में वादी का हक व हिस्सा वादी की बहिनों के नाम दर्ज है जिसमें दो बहिने हरदेई, बाघो ने दिनांक 10 व 11 जुलाई 2023 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:57:37 IST
Reason: SelfAttested

दस्तबरदारी कर अपने भाई के पक्ष में करवा दी लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 कमला जो अपने ससुराल के दवाब में दस्बरदारी करने नहीं आई वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि का अपने भाई के पक्ष में हक त्याग कर दिया जिसे वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई थी तथा अपने पिता के जीवित रहते समय ही अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाई के पक्ष में त्याग कर दिया लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए वादी अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवा कर जमाबंदी दुरूस्त करवा वादग्रस्त भूमि में वादी प्रतिवादी संख्या का जो भी हक हिस्सा है उसमें प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवाकर वादी अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 92/92 की कुल 2.2770 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा चक 15 एनटीआर–ए तहसील नोहर के खाता संख्या 34/31 की कुल 1.2650 है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा, चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 90/90 की कुल 2.2770 है० भूमि में से 1/5 हिस्सा एवं खाता संख्या 110/110 की कुल 4.5540 है० भूमि में से 1/90 हिस्सा तथा रोही मौजा मदावास तहसील तारानगर के खाता संख्या 48/47 की कुल 7.0559 है० भूमि में से 1/10 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी स0 1 जो की वादी की बहिन है के द्वारा उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक प्रतिवादी स0 1 के नाम उक्त भूमि विरासतन दर्ज हुई है वादी द्वारा केवल कथन किया गया है कि प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के पक्ष में त्याग किया गया है जबकि कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के पक्ष में अपने हक हिस्सा का त्याग किया गया हों वादी केवल कथनों के आधार पर न्यायालय से अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अत वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की [illegible] पत्रावली [illegible] की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:57:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 27/02/26 [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1180/2025

अनवान : –

1. बलराम पुत्र रणजीत उर्फ जीतराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. कमला पुत्री रणजीत उर्फ जीताराम पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व तारानगर तहसील तारानगर।
5. उपं पंजीयक तारानगन तहसील तारानगर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1180 सन 2025 निर्णय दिनांक 27/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव मे साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:37:37 IST
Reason: SelfAttested